सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 268 राँची, गुरुवार, 6 फाल्गुन, 1937 (श०) / 25 फरवरी, 2016 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

23 फरवरी, 2016

विषय:- राज्य सरकार द्वारा किरासन तेल पर उपभोक्ताओं को सीधे नगद अनुदान हस्तांतरण योजना लागू करने की स्वीकृति, प्रक्रियाओं का निर्धारण।

संख्या- खा.प्र. 01/कि.ते0/8-7/2013-650--वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 51,70,159 कार्डधारी हैं जिनमें 9,17,751 अन्त्योदय अन्न योजना एवं 42,52,408 पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना के कार्डधारी हैं। इन कार्डधारियों के बीच शहरी क्षेत्रों में 2 लीटर प्रति हाउसहोल्ड प्रतिमाह तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 4 लीटर प्रति हाउसहोल्ड प्रतिमाह किरासन तेल वितरित किया जाता है। शेष किरासन तेल को ठेला भेण्डर के माध्यम से वितरित किया जाता है। वैसे परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित नहीं है उन्हें भी अलग से राशन कार्ड उपलब्ध कराते हुए किरासन तेल वितरित किया जाना प्रस्तावित है। समय-समय पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभान्वित परिवारों की संख्या में भी परिवर्तन संभावित है।

2. उपभोक्ताओं को किरासन तेल पर सीधे नगद अनुदान हस्तांतरण योजना के अन्तर्गत जिलों को राशन कार्डों की संख्या के आधार पर किरासन तेल का आवंटन दिया जायेगा एवं तदनुसार कार्डधारियों को वितरित किया जायेगा। वर्तमान में किरासन तेल का अनुदानित मूल्य लगभग रूपये 15 से 17 प्रति लीटर है। भारत सरकार लगभग तीस रूपये प्रति लीटर की दर से अनुदान की राशि तेल कम्पनियों को उपलब्ध कराती है। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उपभोक्ताओं को जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से बाजार दर पर किरासन तेल उपलब्ध कराया जायेगा एवं अनुदान की राशि उपभोक्ताओं के बैंक खाते में नगद हस्तानान्तरित की जायेगी।

3. राज्य में किरासन तेल का वितरण जन वितरण प्रणाली दुकानों एवं ठेला भेण्डरों के माध्यम से लाभुकों के बीच किया जाता है। यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा अनुदानित दर पर किरासन तेल, ऑयल कम्पनियों के माध्यम से मुहैया करायी जाती है तथा इसी अनुदानित दर पर लाभुक जन वितरण प्रणाली दुकानों/ठेला भेण्डरों के माध्यम से किरासन तेल का उठाव करते हैं।

4. प्रथमतया इसे राज्य के छः जिलों यथा- चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा, खूँटी एवं पूर्वी सिंहभूम में लागू किया जायेगा।

5. योजना का मुख्य उद्देश्य जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत किरासन तेल का गैर वांछित उपयोग पर रोक लगाना तथा सुयोग्य उपभोक्ताओं को ही अनुदान का लाभ पहुँचाना है।

6. चिन्हित जिलों के वैसे सभी राशन कार्डधारी जिन्हें किरासन तेल का आवंटन अनुमान्य है जिनके नाम से बैंक खाता हो, इस योजना के लाभार्थी होंगे।

7. योजना कार्यान्वयन की प्रक्रिया

(i) सभी कार्डधारियों द्वारा बैंक खाता खोला जायेगा। जिला स्तर पर कार्डधारी का नाम, राशन कार्ड संख्या, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक के आई॰एफ॰एस॰कोड॰ तथा आधार संख्या की सिडिंग की जायेगी।

(ii) योजना के लागू होने पर लाभुक द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदार से गैर अनुदानित दर पर किरासन तेल का क्रय किया जायेगा। अनुदान की राशि संबंधित लाभुक के बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित की जायेगी।

(iii) भारत सरकार, द्वारा अनुदान की राशि राज्य स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य स्तर से अनुदान की राशि का आवंटन जिला स्थित विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्ता (आपूर्ति)/जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्ता (आपूर्ति)/जिला आपूर्ति पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्रों के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो संबंधित कोषागार से राशि की निकासी कर कोषागार बैंक शाखा से सीधे इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफर के माध्यम से कार्डधारियों के बैंक खाते में अनुदान की राशि हस्तांरित करेंगे।

(iv) योजना के आरम्भ में अनुदान की राशि अग्रिम के तौर पर लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जायेगी। तत्पश्चात आगामी माहों में लाभुक द्वारा प्राप्त किये गये किरासन तेल की मात्रा पर देय अनुदान की राशि स्थानांतरित की जायेगी।

(v) लाभार्थियों को अनुदान की राशि विमुक्त करने के लिये पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों के नाम के साथ उनके द्वारा माहवार प्राप्त की गई किरासन तेल की मात्रा से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त किया जायेगा एवं इसे कम्प्यूटरीकृत कर अनुदान की राशि की गणना की जायेगी। आपूर्ति श्रृखंला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण होने के उपरान्त PoS के माध्यम से भी सूचनाएँ प्राप्त की जा सकेंगी।

(vi) किरासन तेल पर अनुदान की राशि का निर्धारण भारत सरकार/आयॅल कम्पनियों के द्वारा किया जायेगा।

(vii) किरासन तेल पर लाभार्थियों को उपलब्ध करायी जाने वाली अनुदान की राशि Pricing Depot पर पूर्ण लागत मूल्य (उत्पाद कर/स्थानीय भाड़ा/डीलर कमीशन) तथा अनुदानित डिपो, मूल्य जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा, के अन्तर राशि के बराबर होगी।

(viii) वाणिज्य कर विभाग द्वारा किरासन तेल पर लगाया जाने वाला कर (VAT) का दर इस प्रकार अधिसूचित किया जायेगा कि बाजार दर पर किरासन तेल प्राप्त होने पर भी लाभार्थियों पर कर का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़े।

(ix) योजना को सफलता की समीक्षा के उपरान्त विभाग द्वारा इसे अन्य जिलों में लागू किया जा सकता है।

(x) योजना का प्रचार प्रसार समाचार पत्रों एवं अन्य प्रसार माध्यमों से किया जायेगा।

(xi) योजना लागू करने की विहित रीति का निर्धारण खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा भारत सरकार से प्राप्त निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

8. राज्य कोष से व्ययः- योजना के कार्यान्वयन में राजकोष पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,

सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 268—50 ।